"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 244] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 22 जून 2017 — आषाढ़ 1, शक 1939

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 19 जून 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10–37/2017/वा.कर(आब.)/पांच (52). — छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड (छ.), (ज) एवं (झ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा "सामान्य अनुज्ञप्ति शर्त" में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् –

संशोधन

1. उक्त नियमों –

   (1) "शर्त 1" के पश्चात् "शर्त 1–क" जोड़ा जावे, अर्थात् :–

   "शर्त 1–क :– सी.एस.एम.सी.एल. (छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड) अथवा उसके अधिकृत प्राधिकारी के द्वारा अनुज्ञापन प्राधिकारी से प्रतिवर्ष प्रति दुकान मदिरा विक्रय के लिये लायसेंस प्राप्त करेगा।"

   (2) "शर्त 2–ख" के पश्चात् "शर्त 2–ग" जोड़ा जावे, अर्थात् :–

   "शर्त 2–ग :– सी.एस.एम.सी.एल. (छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड) अथवा उसके अधिकृत प्राधिकारी के द्वारा प्रति दुकान निर्धारित लायसेंस फीस प्रतिवर्ष एकमुश्त जमा किया जावेगा।"

   (3) "शर्त 8" के "उप शर्त 2–क" में "एफ.एल.1(घ)" के पश्चात् "एफ.एल.1(घघ)" तथा "सी.एस.–2(घ)" के पश्चात् "सी.एस.–2(घघ)" जोड़ा जावे।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01–04–2017 से प्रवृत्त होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 19 जून 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10–37 / 2017 / वा.कर(आब.) / पांच (53). —— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उप–धारा (3) के परन्तुक के साथ पठित उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस निमित्त समर्थ बनाने वाली अन्य समस्त शक्तियों के अधिसूचना क्रमांक–14–पांच–पृ.आ., दिनांक 7 जनवरी 1960 के अधीन प्रकाशित आबकारी नियमों में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

1. सामान्य लायसेंस शर्त क्रमांक–8 के उप–नियम (2–क) के स्थान पर निम्नांकित शर्त क्रमांक– 8 के उप–नियम (2–क) प्रतिस्थापित की जाये, अर्थात् :–

"(2–क)– उप नियम (2) के अध्यधीन रहते हुए, ऐसी दुकानें जिनकी अनुज्ञप्ति प्रारूप एफ.एल.–1, एफ.एल.–1कक, एफ.एल.–1ख, एफ.एल.–1अ, एफ.एल.–1घ, एफ.एल.–1(घघ), सी.एस.–2, सी, एस,–2क, सी.एस.2घ, सी.एस.2(घघ), सी. एस.–2(ड.) तथा सी.एस. 3 में है, पूरे वर्ष भर 12:00 बजे अपरान्ह से 09:00 बजे रात्रि तक खुली रहेगी। ऐसी दुकानें जिनकी अनुज्ञप्ति प्रारूप एफ.एल.–2, एफ.एल.–3, एफ.एल.–3(क) में है पूरे वर्ष भर 12:00 बजे अपरान्ह से 10:00 बजे रात्रि तक खुली रहेंगी, सिवाय उन क्लब अनुज्ञप्तियों के जिनकी अनुज्ञप्तियां एफ.एल.–4 एवं एफ.एल.–4(क) में हैं, जो 12:00 बजे अपरान्ह से 11:00 बजे रात्रि तक खुली रहेंगी।"

2. उक्त संशोधन दिनांक 01–04–2017 से प्रवृत्त होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 19 जून 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10–37 / 2017 / वा.कर(आब.) / पांच (54). —— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उप–धारा (1) के सहपठित उपधारा (2) के खण्ड (ड.), (च) एवं (छ) तथा उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 14–पांच–एस.आर. दिनांक 07.01.1960 द्वारा प्रकाशित सामान्य प्रयोग के नियम में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् –

संशोधन

1. उक्त नियमों –

नियम 1 के उप नियम (1) में खण्ड (ग)(घ)(ड.) (च) के स्थान पर खण्ड (ख–1) प्रतिस्थापित किया जावे –

(i) राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गो के समानांतर शराब की बिक्री के लिए लायसेंस नहीं दिया जावेगा।

(ii) कंडिका (i) का प्रावधान नगर निगम, शहर, कस्बे या स्थानीय प्राधिकारी की सीमाओं के भीतर से गुजरने वाले उक्त राजमार्गो पर भी प्रभावशील होगा।

(iii) शराब की उपलब्धता के संकेतक और विज्ञापन, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर दोनों ओर निषिद्ध होगा।

(iv) शराब बिक्री की कोई दुकान राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग से, (i) दिखाई न दे (ii) राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग से पहुंच में न हो (iii) राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग से या राजमार्ग के सर्विस लेन के बाहरी छोर से 500 मीटर की दूरी के भीतर स्थित न हो, परन्तु 20000 या उससे कम आबादी वाले स्थानीय निकायों वाले क्षेत्रों के मामले में राष्ट्रीय तथा राज्य राजमार्गो के 220 मीटर की दूरी के भीतर स्थित न हो।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01–04–2017 से प्रवृत्त होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.